उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग–1
संख्या : 10/2023/988/94-1-2023-312(38)/2022
लखनऊ, दिनांक : 15 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1908) की धारा 5 एवं 7 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त जारी पूर्वतर अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से-

(1) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए जिला चित्रकूट में एक नया निबन्धन उप जिला ''मानिकपुर'' सृजित करती हैं, तथा

(2) नीचे अनुसूची में दिये गये राजस्व ग्रामों के क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुए जिला चित्रकूट के निबन्धन उप जिला 'कर्वी एवं मऊ' की सीमायें परिवर्तित करती हैं।

अनुसूची

जिला चित्रकूट के निबन्धन उप जिला 'कर्वी एवं मऊ' से अपवर्जित किये गये एवं नव सृजित निबन्धन उप जिला ''मानिकपुर'' में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची-

1	भौंरी	2	कोठिलिहाई	3	पाहकंजारी	4	अजौरा
5	ऐंचवारा	6	बघौडा	7	बगरेही	8	बसावनपुर
9	व्यूर	10	चर	11	देवकली	12	जमहिली
13	रामपुर तरौहा	14	तख्तूपुर	15	बराछी	16	बटखुरा
17	चन्द्रामारा	18	देशाह	19	गढचपा	20	गढीकला
21	गढीखुर्द	22	हनुवा	23	खरौंध	24	कौबरा
25	लौढियामाफी	26	मदना	27	रमपुरिया	28	सरैंया
29	सेमरदहा	30	उडकीमाफी	31	अगरहुंडा	32	अकबरिया
33	अरवारा	34	अतरौली	35	बरहट	36	बसिला
37	चकगौरा	38	चरदहा	39	धान	40	गहोराखास
41	गहोरापाही	42	घुसुर्रा	43	कैरीटकटनासा	44	कुईं
45	पैकौरामाफी	46	रैपुरा	47	ऐलहाबढैया	48	अमचुरनेरूवा
49	बगदरी	50	बहिलपुरवा	51	बैरहना	52	बंभिया
53	बराहमाफी	54	भेंडा	55	चकषेशापुर	56	छेरिहाबुजुर्ग
57	छेरिहाखुर्द	58	चितघटी	59	चूल्ही	60	चुरेहकेशरूवा
61	डभवार	62	ददरीमाफी	63	डोडामाफी	64	गिदुरहा
65	गोबरहाई	66	गुरसराय	67	हेला	68	इटवा डुडैला
69	जारोमाफी	70	झरी	71	झीलग	72	जिगनवाह
73	कैलहा	74	कलवलियामहुलिया	75	खिचरी	76	किहुनिया
77	कुबरी	78	कोटा कंदैला	79	कुलमार परासिन	80	कुसमी
81	महुली	82	मडैयन	83	मनगवां	84	मानिकपुर रूरल व शहरी
85	मारकुण्डी	86	मऊ गुरदरी	87	नागर	88	नन्दवनिया
89	निही	90	पडरीमाफी	91	पाडा	92	पटा
93	रानीपुर कल्यानगढ	94	रामपुर कल्यानगढ़	95	रूखमा बुजुर्ग	96	रूख्मा खुर्द
97	सहेलवार	98	सकरौहा	99	सरहट रूरल	100	शहडोल
101	शेखपुर	102	ठर्री	103	टिकरियाजमुनिहाई	104	उल्दन
105	उमरी	106	ऊचाडीह	107	जबरजस्ता	108	गौरिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

109	कल्यानपुर	110	करौंहा	111	कर्कापडरिया	112	कठौता ममनिया
113	सेमरियाचरनदासी	114	रेहुंटिया	115	शीतलपुर तरौंहा	116	चकअमचुरनेरूवा
117	चक चौरी	118	चक झीलग	119	चक देवरी	120	चक परासिन
121	चक रजौहा	122	चक मतदर				

राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी न्यायालय में जिसने अब तक उक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अधिकारिता का प्रयोग किया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा ।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2023/988/94-1-2023-312(38)/2022 दिनांक : 15 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

संख्या-10/2023/988/94-1-2023-312(38)/2022 दिनांक : 15 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ०प्र० कानपुर।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ०प्र० लखनऊ।
6. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
9. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पदेन जिला निबन्धक, चित्रकूट।
10. उप महानिरीक्षक निबन्धन, चित्रकूट धाम मण्डल।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, चित्रकूट।
12. विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5 ।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp evam Registration Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 10/2023/988/94-1-2023-312(38)/2022 dated 15 December, 2023:

Notification

No. 10/2023/988/94-1-2023-312(38)/2022
Lucknow; Dated : 15 December, 2023

In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act no. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, is pleased to,—

(1) create a new registration sub-district "Manikpur" in district Chitrakoot by including revenue villages given in the Schedule below; and

(2) alter the limits of registration sub-district 'Karvi and Mau' of district Chitrakoot by excluding the areas of revenue villages given in the Schedule below.

Schedule

List of villages excluded from the registration sub-districts 'Karvi and Mau' of district Chitrakoot and included in the newly created registration sub-district "Manikpur"

1	BHAUNRI	2	KOTHILIHAI	3	PAHKANJARI	4	AJAURA
5	ACHVARA	6	BAGHAURA	7	BAGREHI	8	BASAWANPUR
9	BYUR	10	CHAR	11	DEVKALI	12	JAMHILI
13	RAMPUR TARAUNHA	14	TAKHTUPUR	15	BARACHHI	16	BATKHURA
17	CHANDRAMARA	18	DESHAH	19	GARHCHAPA	20	GARHIKALA
21	GARHI KHURD	22	HANUWA	23	KHARAUNDH	24	KAUBRA
25	LAURHIYA MAFI	26	MADANA	27	RAMPURIYA	28	SARAINYA
29	SEMARDAHA	30	URKI MAFI	31	AGARHUNDA	32	AKBARIYA
33	ARVARA	34	ATRAULI	35	BARHAT	36	BASILA
37	CHAKGAURA	38	CHARDAHA	39	DHAN	40	GAHORAKHAS
41	GAHORAPAHI	42	GHUSURRA	43	KAIRIKATNASA	44	KUIEN
45	PAIKAURA MAFI	46	RAIPURA	47	AILHABARHAIYA	48	AMCHURNERUWA
49	BAGADARI	50	BAHILPURWA	51	BAIRAHANA	52	BAMBHIYA
53	BARAH MAFI	54	BHERA	55	CHAKSHEKHAPUR	56	CHHERIHABUJURG
57	CHHERIHA KHURD	58	CHITGHATI	59	CHOOLHI	60	CHUREHKESHARUWA
61	DABHWAR	62	DADARI MAFI	63	DORA MAFI	64	GIDURAHA
65	GOBRAHAI	66	GURSARANYA	67	HELA	68	ITWADUDAILA
69	JARO MAFI	70	JHARI	71	JHILANG	72	JIGANWAH
73	KAILAHA	74	KALVALIYAMAHULIYA	75	KHICHARI	76	KIHUNIYA
77	KUBARI	78	KOTAKANDAILA	79	KULMAR PARASIN	80	KUSAMI
81	MAHULI	82	MARAIYAN	83	MANGNWA	84	MANIKPUR RURAL AND URBAN
85	MARKUNDI	86	MAU GURDARI	87	NAGAR	88	NANDVANIYA
89	NIHI	90	PARARI MAFI	91	PARA	92	PATA
93	RANIPUR	94	RAMPUR	95	RUKHMA BUJURG	96	RUKHMA KHURD

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	KALYANGARH		KALYANGARH				
97	SAHELWAR	98	SAKRAUNHA	99	SARHAT RURAL	100	SHAHDOL
101	SHEKHAPUR	102	THARRI	103	TIKARIYAJAMUNI HAI	104	ULDAN
105	UMARI	106	UNCHADEEH	107	JABARJASTA	108	GAURIYA
109	KALYANPUR	110	KARAUNHA	111	KARKAPARARIYA	112	KATHAUTA MAMANIYA
113	SEMARIYACHAR ANDASI	114	REHUNIYA	115	SHITALPUR TARAUNHA	116	CHAKAMCHURNERUWA
117	CHAK CHAURI	118	CHAK JHILANG	119	CHAL DEVRI	120	CHAK PARASIN
121	CHAK RAJAUNHA	122	CHAK MATDAR				

The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said areas.

By order,

Leena Johri
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।